न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/160

1. हजारी लाल आयु 36 वर्ष आत्मज श्री छीतर लाल ।
2. धनराज आयु 30 वर्ष आत्मज श्री मथुरा लाल ।
3. बद्रीलाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री खाना ।
4. गोबरी लाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री मनसुख ।
5. मन्ना लाल आयु 56 वर्ष आत्मज श्री छीतर लाल ।
6. धन्ना लाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री मनसुख ।
7. मथरा लाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्री देवा ।
8. रामदेव आयु 55 वर्ष आत्मज श्री भैरूलाल ।
9. नन्दकिशोर आुय 25 वर्ष आत्मज श्री हीरालाल जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।
3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक कमांक 47 दिनांक 17.05.2016 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन, निर्माणार्थ

अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम 4 (ा) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 (K) के अनुसार ग्राम ठीकरिया चारणान के खसरा नम्बर 760/535 रकबा 56.08 बीघा में से 03 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरिया चारणान को निःशुल्क आवंटन करने का आदेश पारित किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 17.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 760/535 रकबा 56 बीघा 08 बिस्वा में से 10–12 बीघा भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही 50–60 वर्षों से काबिज है । अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि जानवरों को रखने के लिए, मकान एवं खिलाने का चारा करने के उपयेाग में ली जाती है तथा उक्त भूमि पर कुछ छायादार वृक्ष लगा रखे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि आवंटन करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रद्दान की जावे ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एवं पटवारी हल्का की मनगढंत रिपोर्ट के आधार पर उक्त आवंटन आदेश पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त आवंटन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी गॉव के कुछ लोगों द्वारा अपीलान्ट को बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में ग्राम न्यायालय के आदेशिका की प्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रतियॉ है जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट कम 2 को किया है । वादग्रस्त आराजी 56 बीघा 08 बिस्वा में से 10 बीघा 12 बिस्वा पर अपीलान्टगण के मकान एंव बाडे बने हुए हैं । इस पर अपीलान्टगण अपने पूर्वजों के समय से 50–60 वर्षों से काबिज है । शेष 45–46 बीघा आराजी खाली पडी हुई है जिस पर किसी का कब्जा नहीं है । रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट को उनके कब्जे की आराजी से बेदखल करना चाहते हैं । रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम 03 बीघा आराजी का आवंटन है जो खाली पडी हुई भूमि में से लिया जा सकता है । अपीलान्ट को इस आवंटन के बाबत् कोई नोटिस नहीं दिये गये और न ही कोई जानकारी दी गई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि नक्शे में तरमीम इस प्रकार की जावे कि अपीलान्टगण के कब्जे में दखलन्दाजी नहीं हो ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा सार्वजनिक हित में वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट कम 2 को किया गया है । वादग्रस्त आराजी राजकीय सरकारी किस्म चारागाह भूमि है जिसके बाबत् अपीलान्टगण को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । अपील मेन्टेनेबल नहीं है, अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजी सरकारी किस्म चारागाह है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अनुसार जिला कलक्टर बून्दी के अपीलाधीन निर्णय से राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए एवं अन्य भवन, निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के नियम 4 (ा) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 (K) के अनुसार ग्राम ठीकरिया चारणान के खसरा नम्बर 760/535 रकबा 56.08 बीघा में से 03 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरिया चारणान को निःशुल्क आवंटन करने का आदेश पारित किया । वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी किस्म चारागाह सरकार के खाते में दर्ज है जिसके बाबत्

अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी में स्वयं को अतिक्रमी बताकर आपत्ति पेश कर रहे हैं । अतिक्रमी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण के द्वारा अपील में आवंटन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है और दौराने बहस उनके द्वारा यह कथन किया गया कि तरमीम इस प्रकार करवाई जावे कि अपीलान्टगण के कब्जे की आराजी को छोडकर शेष आराजी में से आराजी रेस्पोडेन्ट कम 2 एवं 3 को सुपुर्द की जावे । यदि तरमीम के विषय में कोई आपत्ति है तो आवंटन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने का कोई औचित्य भी प्रतीत नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी सरकारी किस्म चारागाह भूमि है जिसको जनहित में रेस्पोडेन्ट कम 2 को आवंटित किया गया है जिसके बाबत् अतिक्रमी की हैसियत से अपीलान्टगण को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा